Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, NOV-DEC, 2018, VOL- 6/48

महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा की प्रकृति

(जनपद इटावा के विशेष संदर्भ में)

U. V. Singh, Ph. D.

Head – department of Sociology, K.K. (P.G.) College Etawah ; U.P.

Abstract

विगत कुछ वर्षो से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में तीव्र गति से वृद्धि प्रतीत हो रही है। भारतीय प्रसंग में विभिन्न राज्यों के पुलिस– रिकार्ड, समाचार–पत्र, पत्रिकाएं तथा विभिन्न सरकारी, गैर–सरकारी व स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिवेदन इसके पुष्ट प्रमाण हैं कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं; न घर के बाहर और न घर के अन्दर। क्योंकि इस ज्वलन्त सामाजिक समस्या की ओर अधिक अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, अनदेखी की गयी है। सम्प्रति प्रस्तुत समस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। कारण यह है कि भौतिकवादिता के कारण हमारी विचारधारायें, संस्थागत मूल्य और जीवन प्रतिमान सब कुछ बदल गए हैं। महिलाओं के हित में बनाए गए सामाजिक कानून, महिला शिक्षा के प्रचार–प्रसार और महिलाओं की शनैः शनैः बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद भी महिलाएं हिंसा की शिकार हो रही हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको उत्पीड़ित कर जलाकर मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका भाँति–भाँति से शोषण व उत्पीड़न किया जाता है।

पारिभाषिक शब्दः *घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, अपराधिक हिंसा, दुर्व्यवहार।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

विवेचना एंव परिणामः आज कुँआरी, विवाहित, विधवाएं सभी प्रकार की महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं जिसके दो स्वरूप[1] : (1) शारीरिक हिंसा (2) मानसिक हिंसा हैं। हिंसा की प्रकृति के सन्दर्भ में प्रो. राम आहूजा ने महिलाओं के विरूद्ध/प्रति की जाने वाली हिंसा को दो भागों[2] (1) ऐसी हिंसा जो परिवार के अन्दर होती है, पारिवारिक या घरेलू हिंसा (Intra-Family Violence) (2) हिंसा जो परिवार के बाहर होती है ;टपवसमदबम वनजेपकम जीम ंउपसलद्ध; में वर्गीकृत किया है।

समाज मनोवैज्ञानिक **डंतपं**[3] (Battered Women : A Socio-Psycho Study of Domestic Violence, Van Nostrand Reinhold Pub., New York, 1977) ने घरेलू हिंसा के प्रसंग में लिखा है कि यह **'किसी के द्वारा' 'किसी के प्रति'** हिंसा है। लेकिन महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा को **'एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति के विरूद्ध हिंसा'** समझा जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी हिंसा 'एक

महिला द्वारा दूसरी महिला के विरूद्ध' भी हो सकती है; और 'एक पुरूष द्वारा एक महिला के विरूद्ध' भी। जिसकी प्रकृति मूलतः शारीरिक तथा मानसिक दो तरह की होती है। आपने सुझाव दिया है कि हिंसा की व्याख्या और हिंसा की प्रकृति के निर्धारण के लिए **'हिंसक के व्यक्तित्व'** और **'परिस्थिति'** दो उपागमों पर दृष्टिपात व गम्भीर चिन्तन करना होगा।

प्रो. वाल्स एण्ड फरफे[4] **(1961:1)** ने महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा की समस्या की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह सामाजिक आदर्श से विचलित व्यवहार है जो दाम्पत्य सम्बन्धों को संकट में डालता है। इसका निर्धारण करना सरल नहीं है कि कौन सी स्थिति/व्यवहार आदर्श है; और कौन सा नहीं। और ऐसा कोई मानदण्ड भी नहीं है जिससे घरेलू हिंसा को जाँचने के लिए प्रयोग में लाया जा सके। यह स्वयं में अत्यन्त जटिल प्रकृति वाली समस्या है।

मनो–चिकित्सक ब्लूमर डी[5] **(2001:37)** 'पारिवारिक हिंसा' करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व को **'डिप्रेसिव डिस–आर्डर'** नामक बीमारी से युक्त मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी बात की 'सुधि बुधि' नहीं रहती; कि वह जो कर रहा है उसका परिणाम/प्रतिफल क्या होगा। यहाँ तक कि उसमें 'भावनाओं के नियंत्रण में स्पष्ट कमी' ;संबा व‍ि प्उचनसेम ब्वदजतवसद्ध आ जाती है। आपने अपने भारत में किए अध्ययन के आधार पर लिखा है कि **'भारत में प्रत्येक दस हिंसाग्रस्त महिलाओं में से चार महिलाएं घरेलू हिंसा/पारिवारिक हिंसा की शिकार होती हैं।'**

दाभाड़े सुरभि[6] **(2009)** ने अपने अनुभवजन्य अध्ययन में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा की प्रकृति को दो भागों में वर्गीकृत किया है– (क) शारीरिक हिंसा (ख) मानसिक हिंसा। जो सभी प्रकार की महिलाओं (कुँआरी, विवाहिता तथा वृद्धा व विधवा) के साथ होती हैं। यह घरेलू हिंसा परिस्थितिजन्य होती हैं। जबकि **प्रो. राम आहूजा**[7] **(1987)** ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की प्रकृति, को निम्न वर्गीकरण के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है–

(1) अपराधिक हिंसा; जैसेः बलात्कार, अपहरण, हत्या....

(2) घरेलू हिंसा; जैसेः दहेज सम्बन्धी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं और/या वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार.....

(3) सामाजिक हिंसा; जैसेः पत्नी/पुत्रबधू को मादा भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना महिलाओं के साथ छेड़छाड़, सम्पत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इन्कार करना, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, पुत्रबधू को और अधिक दहेज लाने के लिए सताना......

सिंह एस.डी. व सुनीता[8] **(2007)** ने अपने प्रकाशित शोध–पत्र में **'घरेलू हिंसा कानून 2005 तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया'** के अध्ययन में लिखा है कि कानून के मुताबिक महिला (पत्नी) के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने या उसे गाली गलौज, मारने पीटने, थप्पड़ या लात घूंसा मारकर चोट पहुँचाना, प्रताड़ित करना, अश्लील चित्र देखने के लिए मजबूर करने, दबाव बनाने या फिर सैक्स, या फिर ऐसा कोई कार्य जिससे उसे चोट पहुँचती हो, घरेलू हिंसा के दायरे में आयेगा।

अग्रवाल नम्रता[9] **(2010)** लिखती हैं कि महिलाओं के विरूद्ध पारिवारिक हिंसा की प्रकृति के अन्तर्गत एक परिवार के सदस्य/ सदस्यों द्वारा परिवार की ही किसी महिला सदस्य के विरूद्ध हिंसात्मक व्यवहार करना अथवा उसे शारीरिक या मानसिक आघात पहुँचाना, गाली गलौज, थप्पड़, लात घूंसों से मारना, जान से मार डालने का प्रयत्न करना या हत्या कर देना; किसी भी रूप में सम्भव है। **'घरेलू हिंसा'** परिवार के किसी भी सदस्य अथवा सदस्यों के विरूद्ध हो सकती है; परन्तु महिलाएं ही घरेलू हिंसा की शिकार अधिक होती हैं। **सुस्पष्ट है कि महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा; प्रकृति की दृष्टि से दो प्रकार (क) शारीरिक हिंसा (ख) मानसिक हिंसा; की होती हैं।**

प्रस्तुत साहित्य के विवेचन/विश्लेषण के प्रकाश में अनुसंधित्सु ने **'प्रो. आहूजा द्वारा प्रदत्त (प्रस्तुत) मॉडल'** को स्वीकार करते हुए महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा का अध्ययन करने हेतु (क) पत्नी को थप्पड़, लात, घूंसों से मारना–पीटना, भावात्मक उपेक्षा/यातनाएं देना, गाली गलौज करना, उत्पीड़न करना (ख) लैंगिक दुर्व्यवहार (ग) बलात्कार व हत्या (घ) भगा ले जाना तथा अपहरण (ङ) विवाह, दहेज उत्पीड़न व दहेजी हत्या; विन्दुओं को आधार मानते हुए अध्ययन करने का प्रयास किया है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका नं. (1): विभिन्न पूरक प्रश्नों के सापेक्ष पत्नी की पिटाई सम्बन्धी कारकों के बारे में सूचनादात्रियों के अभिमत/प्रत्युत्तर

क्रम	विभिन्न पूरक प्रश्न जो पत्नी की पिटाई सन्दर्भ में पूछे गए	सूचनादात्रियों के अभिमत/स्वीकारोक्तियाँ (संख्या/प्रतिशत)				योग (प्रतिशत)
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
1.	क्या उच्च शिक्षित पति अपनी पत्नी को नहीं पीटते हैं?	**297 (99.00)**	**03 (01.00)**	**-- (00.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
2.	क्या शिक्षित पत्नियों के पिटने की सम्भावनाएं कम होती हैं?	**300 (100.00)**	**-- (00.00)**	**-- (00.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
3.	क्या आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों में पत्नियों की पिटाई की घटनाएं अधिक होती हैं?	**270 (90.00)**	**27 (09.00)**	**03 (01.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
4.	क्या आत्म निर्भर पत्नियों के पिटने की सम्भावनाएं अत्यन्त न्यून होती हैं? वे नहीं पिटतीं।	**300 (100.00)**	**-- (00.00)**	**-- (00.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
5.	क्या पत्नी की पिटाई के लिए पति की अहम भावना उत्तरदायी कारण है?	**195 (65.00)**	**93 (31.00)**	**10 (03.33)**	**02 (00.67)**	**300 (100.00)**
6.	क्या अधिकार व प्रबलता की प्रवृत्ति पत्नी की पिटाई के लिए उत्तरदायी है?	**225 (75.00)**	**39 (13.00)**	**27 (09.00)**	**09 (03.00)**	**300 (100.00)**
7.	क्या पति में हीनता की भावना भी पत्नी की पिटाई के लिए उत्तरदायी है?	**180 (60.00)**	**103 (34.33)**	**05 (01.67)**	**12 (04.00)**	**300 (100.00)**
8.	क्या कम आय वाले परिवारों में पत्नी की पिटाई के लिए आय उत्तरदायी है?	**192 (64.00)**	**60 (20.00)**	**43 (14.33)**	**05 (01.67)**	**300 (100.00)**
9.	क्या बाहरी परिस्थितियों से जनित तनाव भी पत्नी की पिटाई के लिए उत्तरदायी कारक है?	**261 (87.00)**	**12 (04.00)**	**27 (09.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
10.	क्या परिवार की महिला सदस्यों के पारस्परिक झगड़े, पत्नी की पिटाई के लिए उत्तरदायी हैं?	**241 (80.33)**	**30 (10.00)**	**18 (06.00)**	**11 (03.67)**	**300 (100.00)**
11.	क्या घरेलू व अन्य कार्यों को पति की इच्छानुसार न करना	**186 (62.00)**	**72 (24.00)**	**42 (14.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**

	पत्नी की पिटाई के लिए उत्तरदायी हैं ?					
12.	क्या पत्नियों का अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना उनकी पिटाई के लिए उत्तरदायी है ?	**189 (63.00)**	**90 (30.00)**	**-- (00.00)**	**21 (07.00)**	**300 (100.00)**
13.	क्या पति की पसन्द के अनुरूप पत्नी का सुन्दर न होना भी उनकी पिटाई का एक कारण है ?	**179 (59.67)**	**102 (34.00)**	**19 (06.33)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
14.	क्या पुत्रियों की अधिक संख्या तथा पुत्र पैदा न कर पाना भी पत्नी की पिटाई का एक कारण है ?	**192 (64.00)**	**97 (32.33)**	**06 (02.00)**	**05 (01.67)**	**300 (100.00)**
15.	क्या पति का तनावग्रस्त होकर घर में आना और पति अपना सारा क्रोध पत्नी पर उतार देते हैं ?	**205 (68.33)**	**63 (21.00)**	**30 (10.00)**	**02 (00.67)**	**300 (100.00)**
16.	क्या आर्थिक कठिनाईयाँ/समस्याएं पत्नी की पिटाई में योग देती हैं ?	**279 (93.00)**	**-- (00.00)**	**15 (10.00)**	**06 (02.00)**	**300 (100.00)**
17.	क्या पत्नी द्वारा दहेज न लाना/कम लाना अथवा दहेज लाने के लिए प्रेरित करने के लिए भी पति पिटाई करते हैं ?	**282 (94.00)**	**-- (00.00)**	**18 (06.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**

(नोट– कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आँकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका (1) के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा विवेचन के प्रकाश में तथा स्तम्भ ''हाँ'' के आँकड़ों (आवृत्तियों तथा प्रतिशत) को देखने से स्पष्ट होता है कि तालिका में निर्दिष्ट सभी कारकों को 60 प्रतिशत से अधिक सूचनादात्रियों ने पतियों द्वारा अपनी पत्नियों की पिटाई के लिए उत्तरदायी कारक स्वीकार किया है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय तथ्य है कि 'महिलाओं के विरुद्ध हिंसा' विवाह के परिप्रेक्ष्य में और अधिक अजीबोगरीब महसूस होती है क्योंकि यह समझा जाता है कि पति, अपनी पत्नी का स्वामी/ संरक्षक है, उसकी रक्षा करेगा, उसे सुरक्षा प्रदान करेगा; लेकिन वह उसे मारता, डाँटता पीटता है। एक पत्नी के लिए पति द्वारा पीटा जाना; जिस पर वह सर्वाधिक विश्वास

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

करती है, एक छिन्न–भिन्न करने वाला व्यक्तिगत अनुभव होता है; ऐसे विचार घरेलू हिंसा की शिकार– सूचनादात्रियों के हैं। घरेलू हिंसा लात, घूँसा, चाँटे/थप्पड़ मारने, यातनाएं देने से लेकर जान से मार डालने की कोशिश और हत्या तक हो सकती है। हिंसा कभी–कभी नशे की दशा में भी होती है। परन्तु हमेशा नहीं। पत्नियाँ पिटने के बावजूद भी मौन रहकर अपमान सहती हैं; और उसे अपने भाग्य से जोड़ती हैं, यदि वह विरोध करना भी चाहती है तो भी हिम्मत नहीं जुटाती क्योंकि उसे यह डर रहता है कि उसके अपने माता–पिता भी विवाह के बाद उसे (बेटी को) अपने घर में स्थायी रूप से रखने को मना कर देंगे। पति की देहरी (घर) ही उसका अन्त है अर्थात् उसका गुजारा तो पति के घर से ही होगा।

पत्नी के पीटे जाने/पिटने की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो अनुसंधित्सु के इस आनुभविक शोध अध्ययन से उजागर हुई हैं; वे इस प्रकार हैं–

(1) ऐसी पत्नियाँ, जिनकी आयु 25–35 वर्ष के मध्य होती है,

(2) ऐसी पत्नियाँ जो अपने पति से लगभग 5–6 वर्ष से अधिक छोटी होती हैं उन्हें पति द्वारा पीटे जाने का खतरा अधिक होता है,

(3) निम्न आय तथा निम्न समाजार्थिक स्तर वाले परिवारों में स्त्रियों की मारपीट की घटनाएं तुलनात्मक अधिक होती हैं,

(4) परिवार के आकार और उसकी संरचना का पत्नी के पीटने से कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं होता, ऐसा अध्ययन में पाया गया है,

(5) सामान्यतः पतियों के पीटने से पत्नियों को कोई गहरी चोट नहीं लगती वे पीटकर कुछ सबक देना चाहते हैं।

(6) दम्पत्ति के मध्य कुसमायोजन, पति का अहम अथवा उसमें हीनता की भावना, पति का शराबी होना, भावनात्मक गड़बड़, पत्नी की निष्क्रियता, यौन सम्बन्धी असमायोजन (सामंजस्य का अभाव), तनावग्रस्त पति का घर आना, दायित्वों के प्रति पत्नी द्वारा लापरवाही बरतना, परिवार की आर्थिक कठिनाईयाँ आदि घरेलू हिंसा हेतु महत्वपूर्ण कारण हैं।

(7) पति की हिंसात्मक प्रवृत्ति (व्यवहार), पत्नी के पीटने में एक महत्वपूर्ण तथा प्रमुख कारक होता है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(8) शिक्षित पत्नियों की तुलना में, अशिक्षित/अनपढ़ व साक्षर पत्नियों की पिटाई/पीटे जाने की सम्भावनाएं अधिक होती हैं; लेकिन पीटने और पीड़ितों के शैक्षिक स्तरों में कोई सह– सम्बन्ध नहीं पाया गया है।

(9) शराबी पति; अपनी पत्नियों का उत्पीड़न तुलनात्मक अधिक करते हैं; लेकिन मारपीट उस समय करते हैं जब वे होशोहवास में होते हैं; न कि नशे की दशा में।

चूँकि प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए सभी चयनित सूचनादात्रियाँ दाम्पत्य जीवनयापन करने वाली हैं, कोई विधवा सूचनादात्री अध्ययन की इकाई नहीं है। इसलिए अनुसंधित्सु ने अध्ययन की गयी सभी 300 सूचनादात्रियों से **'विधवाओं' के विरूद्ध घरेलू हिंसा'** का अध्ययन करने के लिए सूचनादात्रियों से प्रश्नोत्तर करते हुए केवल उनके अभिमतों का अध्ययन किया है।

इस समस्या के समाधान के लिए निम्न सुझाव सार्थक तथा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं–

(1) नारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए वैधानिक उपाय किए जांय।

(2) महिलाओं को रोजगारों के अधिकाधिक अवसर प्रदान करते हुए दशा सुधार की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जांय।

(3) जनसंचार माध्यमों में दिखाई जा रही महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाय।

(4) अपराधकर्ताओं को समुचित दण्ड प्रदान किए जांय ताकि अन्य लोग सबक ले सकें।

(5) सामुदायिक स्तरों पर ऐसे पुरूषों की निन्दा कर सामाजिक बहिष्कार किए जांय।

(6) सामाजिक संस्थाओं, संगठनों व महिला संगठनों को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाय।

(7) सामुदायिक स्तरों पर पीड़ितों की सुरक्षा, मदद और सलाह की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय।

(8) पीड़ितों को तानाशाह सास ससुर, शराबी पति के साथ न रहकर उस घर को छोड़ अन्यत्र ऐसी व्यवस्था करें जहाँ उन्हें रहने हेतु अच्छा वातावरण तथा समुचित आश्रय मिले।

(9) आवासीय आश्रय प्रदान करने में स्वयं सेवी संगठन आगे आवें।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(10) ऐसी महिलाओं और उनके बच्चों को शासन स्तर से संरक्षा, सुरक्षा तथा आर्थिक मददें प्रदान की जांय।

(11) निःशुल्क कानूनी परामर्श व सहायता केन्द्रों की स्थापनाएं शासन स्तर से की जांय।

(12) शोषण की शिकार महिलाओं की सहायतार्थ घरेलू दम्पत्तिक समस्याओं के समाधान हेतु सस्ती और कम औपचारिक अदालतों की स्थापनाएं की जांय।

(13) अदालतों व कानून व्यवस्था में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाय जो ऐसी महिलाओं की समस्याओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझकर निराकरण कर सकें।

References

Kulkarni R. (1988) Violence related Dowry, National Seminar NIPCCO, Feb. 1988, p.1.

Ram Ahuja (1994) Social Problems : Violence against women, Rawat Publications (Raj.) Jaipur, p. 240.

Maria Anjoo (1977) Battered Women : A socio-Psycho study of domestic Violence, Van Nostrand Reinhold Pub., New York, p. 99.

Ball J.K. et.al. (1991) Violence against Women, Paper presented in the Seminar organized at Sardar Patel Univ. Vidya Nagar, Gujarat 21 & 22 Nov. 1991, p. 1.

Blumer D. (2001) Neuro-Psychiatric aspects of Violent Behaviour, University of Toranto, Canada, p. 73.

Dabhade Surabhi (2009) Family Violence- A case study of urban families Published paper "Samajic Sahyog" quarterly Journal, Jan. & Feb. 2009, p. 27-33, Ujjain (M.P.).

Ram Ahuja (1987) Social Problems : Violence against Women, Rawat Pub. (Raj.), Jaipur, p.228.

Singh S.D. et.al. (1977) Dowry-Deaths : Myth or Reality : A case study based on Family Violence, Published paper, "Samajic Sahyog" Ujjain (M.P.), p. 72-78.

Agrawal Namrata (2010) Family Violence : A comparative Study based on Rural & Urban families, Academic Press, Hyderabad, p. 146.

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

Bhatnagar L.P. (1985) Marriage, Family & Violence, Heritage Publishers, New Delhi, p. 57-61.

Mahashweta A. (2007) A study of Dowry System in Rural Areas of Meerut Distt. of U.P., Ph.D. Thesis, p.201-227.

Methen Anna (1987) Attitudes towards dowry, Indian Journal of Social work, 50(12), 1987.

Deviprasad B. (2010) Dowry Practice in the Urban Setting: A case study, Unpublished Thesis MSS, Andhra Univ. Vishakhapatnam.

Lata P.M. (1988) Violence Within Family : Experience of a Faminist Support Group; National Seminar NIPCCO, Feb. 88, p. 11.

Chandrashekhar R. (2007) A study of Violence in the families of West Bengal; J.P. Institute of Social Change, Calcutta, Unpubl. Thesis p.37-38, 2007.